

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ-5/अभि/सीटीएडी/समाई माता विकास/19-20/31842-

दिनांक : 29/12/20

उपायुक्त

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
बांसवाडा।

विषय : समाई माता स्थान पर विभिन्न विकास कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाडा के पत्रांक क्रमांक प. () विकास -।
/टीएडी/ उवस/2020-21/3553-56 दिनांक 07.07.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि इकोटूरिज्म विकसित करने के क्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वन क्षेत्र समाईमाता स्थान पर विभिन्न विकास कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रूपये 100.00 लाख की जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी वन विभाग को नियुक्त किया गया। कार्यकारी एजेन्सी वन विभाग से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 2 में वर्णित कार्य हेतु कॉलम संख्या 4 में वर्णित राशि की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

Sr.No	Name of work	Technical Sanction No.	Amount (Rs in Lakh)
1	2	3	4
1.	Protection Wall along ridges of Hill	DCF/2020-21/3543-44	22.74
2.	Retaining wall (including cutting & filling)	DCF/2020-21/3545-46	4.64
3.	Pacca check Dam	DCF/2020-21/3547-48	6.70
4.	Cement concrete block interlocking pavement	DCF/2020-21/3549-50	2.93
5.	View points 2 Nos.	DCF/2020-21/3551-52	11.30
6.	Contingency 1.5%		0.72
	Total		49.03

उपरोक्त कार्य पर राशि रु. 49.03 लाख का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अंतर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-21/2020-21 से Infrastructure development at places of Religious and Historical importance for Tribals हेतु प्राप्त राशि रु. 300.00 लाख में से व्यय करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

स्वीकृत लागत 49.03 लाख की 80 प्रतिशत (प्रथम किश्त) राशि रु. 39.22 लाख अक्षरे उनचालिस लाख बाईस हजार रूपये मात्र उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्त :-

- यदि उक्त कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
- निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कराया जावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित की जावे। निविदा आमंत्रित कर कार्य करवाया जाए।

कृ.प.उ.

4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी स्वीकृति व ड्राईंग अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति बिना नहीं किया जावे।
5. स्वीकृत कार्यों का third party inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे। कार्य के प्रारंभ प्रगति पर एवं पूर्ण होने पर फोटोग्राफ भिजवाये जावे।
7. स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर तकमीने मे कार्य स्थल का longitude & latitude अंकित की जावे एवं वर्तमान स्थिति के फोटोग्राफ संलग्न कर प्रेषित करे।

- sd -

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय).A.S
आयुक्त

एफ-5/अभि/सीटीएडी/समाई माता विकास/19-20/ 31842-53
प्रतिलिपि -

दिनांक : 29/12/20

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. प्रधान/मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
5. उप वन संरक्षक, बांसवाडा।
6. मण्डल वन अधिकारी, बांसवाडा।
7. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि संविधान की धारा 275(1) मद अंतर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-21/2020-21 से Infrastructure development at places of Religious and Historical importance for Tribals हेतु प्राप्त राशि रु. 300.00 लाख मे से उपरोक्त कार्य हेतु स्वीकृत लागत 49.03 लाख की 80 प्रतिशत (प्रथम किश्त) राशि रु. 39.22 लाख अक्षरे उनचालिस लाख बाईस हजार रूपये मात्र उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तांतरित करावे।
8. निदेशक मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल ।



जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)